

10/10/2023

18/10/23

अधिवक्ता वाली इफ. नही पत्रागली  
 काफी लम्बे समय से प्रतिवादीकक भी  
 तलबी हेतु विचाराधीन चली आ रही  
 है अधिवक्ता वाली को न्यायालय समुप  
 में धार-2 कक कककर आवाजे लयाये  
 जाने पर भी कभीक काफी इफ नही  
 अतः प्र. सं 2023/002 अ-नगि  
 धारा 53, 88, 148, 92F, 203 PCA  
 अतवाव गुरुदाल नौर व अल ककक  
 लकी व अल ककीक वाली की इफ  
 करी / अफक हाजरी में खारिज किया  
 जाय व खारिज में अल ककक कककी  
 अपेक्षित नही है पत्रागली समय नककर  
 से कसली जानर मिनीप नी कली में  
 शामिल है।

